न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, बाड़ी, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी : नीरज कुमार आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मुत0 दीवानी (सी.आई.एस.) संख्या : 95/2022

प्रेरणा उर्फ परनीत पत्नी जसपाल सिंह पुत्री इन्द्रजीत उर्फ पप्पू निवासी 35ए/24 जगनपुर दयालबाग आगरा उत्तरप्रदेश हाल निवासी बालाजी नगर बल्केश्वर थाना कमला नगर आगरा जिला आगरा उत्तरप्रदेश।

— प्रार्थिया सं.01

बनाम

जसपालसिंह पुत्र रन्जीत सिंह निवासी ग्राम अहमदपुर थाना सदर बाडी जिला धौलपुर।

— प्रार्थी सं.02

संयुक्त विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश कुमार गौड, अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थिया सं.01
2. श्री अमित बघेला, अधिवक्ता, प्रार्थी सं.02

—:: निर्णय ::—

दिनांक 01.04.2023

न्यायालय द्वाराः—

01. प्रार्थीगण प्रेरणा उर्फ परनीत व जसपालसिंह की ओर से जरिये अधिवक्तागण दिनांक 26.08.2022 को न्यायालय में संयुक्त विवाह विच्छेद याचिका अंतर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 प्रस्तुत होने पर यह याचिका दिनांक 14.10.2022 को दर्ज रजिस्टर की गयी है।

02. प्रार्थीगण प्रेरणा उर्फ परनीत व जसपालसिंह की ओर से उक्त याचिका धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि उन दोनों की पारस्परिक सहमति के आधार पर उनके मध्य दिनांक 18.08.21 को सम्पन्न विवाह को विच्छेद कर दिया जावे। प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थीगण के शपथपत्र भी प्रस्तुत किये हैं।

03. प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रार्थिया सं.01 प्रेरणा उर्फ परनीत ने स्वयं की ए.ड.1 के रूप में साक्ष्य लेखबद्ध करवायी है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में शादी का कार्ड प्रदर्श 1 को प्रदर्शित करवाया है तथा प्रार्थी सं.02 जसपालसिंह ने स्वयं की एन.ए.ड.1 के रूप में स्वयं की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी एवं दस्तावेजी साक्ष्य में शादी का कार्ड प्रदर्श 2 को प्रदर्शित करवाया है।

04. प्रार्थीगण को सुना गया एवं प्रार्थीगण प्रेरणा उर्फ परनीत व जसपालसिंह की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

05. विवाह के पश्चात् से ही प्रार्थीगण के मध्य वैचारिक मतभेद होने लग गये एवं वे अलग–अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं एवं दोनों का भविष्य में दाम्पत्य जीवन साथ–साथ व्यतीत होने की कोई संभावना शेष नहीं रही है तथा प्रार्थी सं.02 से प्रार्थिया सं. 01 ने अपने समस्त स्त्रीधन व भरण–पोषण बावत् एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली है एवं पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार की कोई दुरभि संधि भी नहीं है।

06. न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को साथ–साथ जीवन व्यतीत करने हेतु समझाया गया, परंतु प्रार्थीगण साथ–साथ जीवन व्यतीत करने हेतु सहमत नहीं हुए।

07. प्रार्थीगण प्रेरणा उर्फ परनीत व जसपालसिंह के मध्य आपसी सहमति के आधार पर यह विवाह सम्बन्ध विच्छेद करने के पीछे कोई दुरभि संधि हो, ऐसा भी तथ्य प्रकट नहीं होता। प्रार्थिया सं.01 ने प्रार्थी सं.02 से समस्त स्त्रीधन व भरण–पोषण बावत् एकमुश्त राशि प्राप्त करने का कथन किया है एवं कोई लेना–देना शेष नहीं होना बताया है एवं दोनों ने उनके मध्य दुरभि संधि होने से इंकार किया है।

08. प्रार्थीगण प्रेरणा उर्फ परनीत व जसपालसिंह की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में वर्णित तथ्यों से न्यायालय इस बारे में संतुष्ट हैं कि अब दोनों का साथ–साथ रहकर जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है।

09. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रेरणा उर्फ परनीत व जसपालसिंह की ओर से पारस्परिक सहमति के आधार पर प्रस्तुत की गयी याचिका अन्तर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

10. परिणामस्वरूप प्रेरणा उर्फ परनीत पत्नी जसपाल सिंह पुत्री इन्द्रजीत उर्फ पप्पू निवासी 35ए/24 जगनपुर दयालबाग आगरा उत्तरप्रदेश हाल निवासी बालाजी नगर बल्केश्वर थाना कमला नगर आगरा जिला आगरा उत्तरप्रदेश एवं जसपालसिंह पुत्र रन्जीत सिंह निवासी ग्राम अहमदपुर थाना सदर बाडी जिला धौलपुर की ओर से दिनांक 26.08.22 को प्रस्तुत की गयी याचिका अंतर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम को स्वीकार किया जाकर उक्त दोनों प्रार्थीगण के मध्य दिनांक 18.08.2021 को सम्पन्न हुआ विवाह संबंध उक्त दोनों प्रार्थीगण की पारस्परिक सहमति के आधार पर आदेश की दिनांक 01.04.2023 से विघटित घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री उक्त आदेशानुसार तैयार किया जावे।

(नीरज कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश,
बाड़ी, जिला धौलपुर

11. निर्णय व आदेश आज दिनाक 01.04.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश,
बाड़ी, जिला धौलपुर